



भारत सरकार
Government of India
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग



Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare

उत्तर पूर्वी क्षेत्र कृषि एवं प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान,

FARM MACHINERY TRAINING & TESTING INSTITUTE (NER)

विश्वनाथ चारिआलि, जिला- विश्वनाथ (असम)

Biswanath Chariali: Dist. - Biswanath: Assam-784176

Web site : <http://nerfntti.nic.in>

E-mail : fnti-ner@nic.in

सं. 19-1/2008-RTI - 346

दिनांक-25.01.2017

प्रति,

Vikash Gupta
11/65, Kaveri Path,
Madhyam Marg, Mansarover,
Jaipur, Pin-302020

विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत सूचना प्रदान करना ।
महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके ऑनलाइन आरटीआई आवेदन पत्र पंजीकरण सं.DOA&C/R/2016/01976 dated 22.12.2016 जो मंत्रालय के पत्र संख्या 9-171/2016-M&T (Admn.) Dated 28.12.2016 द्वारा धारा 6(3) के तहत प्रेषित की गई है के संदर्भ में इस संस्थान की सूचना निम्न प्रकार है-

क.स.	मांगी गई सूचना	उत्तर
1	भारत सरकार के किस मंत्रालय/ विभाग/ कार्यालय में कितनी अनुशासनात्मक कार्यावाही एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित है? पूर्ण सूचना उपलब्ध कराई जावे।	इस संस्थान में ऐसा कोई अनुशासनात्मक कार्यावाही लम्बित नहीं है। अतः इस संस्थान का सूचना शून्य मानी जाए।
2	अनुशासनात्मक कार्यावाही एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित रहने के कारण क्या है? पूर्ण सूचना उपलब्ध कराई जावे।	संबंधित नहीं है ।
3	अनुशासनात्मक कार्यावाही एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित रखने के लिये जिम्मेदार अधिकारी कौन कौन है? पूर्ण सूचना उपलब्ध कराई जावे।	संबंधित नहीं है ।
4	अनुशासनात्मक कार्यावाही एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित रखने के लिये जिम्मेदार अधिकारी पर नियमानुसार क्या कार्यावाही की गयी है? पूर्ण सूचना उपलब्ध कराई जावे।	संबंधित नहीं है ।
5	भारत सरकार के किस मंत्रालय/ विभाग/ कार्यालय में अनुशासनात्मक कार्यावाही से सम्बंधित कितनी अपील एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित है? पूर्ण सूचना उपलब्ध कराई जावे।	इस संस्थान में ऐसा कोई अनुशासनात्मक कार्यावाही से सम्बंधित अपील लम्बित नहीं है। अतः इस संस्थान का सूचना शून्य मानी जाए।

6	भारत सरकार के किस मंत्रालय/ विभाग/ कार्यालय में अर्जुनासनात्मक कार्यावाही से सम्बन्धित किन्ती अधील एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित रहने के कारण क्या है? पूर्ण सूचना उपलब्ध कराई जावे।	सम्बन्धित नहीं है।
7	भारत सरकार के किस मंत्रालय/ विभाग/ कार्यालय में अर्जुनासनात्मक कार्यावाही से सम्बन्धित किन्ती अधील एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित रहने के लिये जिम्मेदार अधिकारी कौन कौन है? पूर्ण सूचना उपलब्ध कराई जावे।	सम्बन्धित नहीं है।
8	अर्जुनासनात्मक कार्यावाही से सम्बन्धित अधील एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित रहने के लिये जिम्मेदार अधिकारी पर नियामार्गसार क्या कार्यावाही की उपलब्ध कराई जावे।	सम्बन्धित नहीं है।
9	भारत सरकार के किस मंत्रालय/ विभाग/ कार्यालय में अर्जुनासनात्मक कार्यावाही से सम्बन्धित किन्ती रिजिन पेटिसन एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित है? पूर्ण सूचना उपलब्ध कराई जावे।	इस संस्थान में ऐसा कोई अर्जुनासनात्मक कार्यावाही से सम्बन्धित रिजिन पेटिसन लम्बित नहीं है। अतः इस संस्थान का सूचना शून्य मानी जावे।
10	भारत सरकार के किस मंत्रालय/ विभाग/ कार्यालय में अर्जुनासनात्मक कार्यावाही से सम्बन्धित किन्ती रिजिन पेटिसन एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित रहने के कारण क्या है? पूर्ण सूचना उपलब्ध कराई जावे।	सम्बन्धित नहीं है।
11	भारत सरकार के किस मंत्रालय/ विभाग/ कार्यालय में अर्जुनासनात्मक कार्यावाही से सम्बन्धित किन्ती रिजिन पेटिसन एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित रहने के लिये जिम्मेदार अधिकारी कौन कौन है? पूर्ण सूचना उपलब्ध कराई जावे।	सम्बन्धित नहीं है।
12	अर्जुनासनात्मक कार्यावाही से सम्बन्धित रिजिन पेटिसन एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित रहने के लिये जिम्मेदार अधिकारी पर नियामार्गसार क्या कार्यावाही की गयी? पूर्ण सूचना उपलब्ध कराई जावे।	सम्बन्धित नहीं है।
13	क्या अर्जुनासनात्मक कार्यावाही लम्बित रहने से सम्बन्धित सूचना, सूचना का अधिकार नियम 2005 की धारा 4 के तहत जनता की जानकारी के लिये भारत सरकार की वेब साइट पर उपलब्ध है? पूर्ण जानकारी दी जावे।	इस संस्थान का सूचना शून्य मानी जावे।
14	क्या अर्जुनासनात्मक कार्यावाही व अर्जुनासनात्मक कार्यावाही लिये सम्बन्धित अधिकारी, आरोपित अधिकारी/ कर्मचारी से रिश्वत लेते है? पूर्ण जानकारी दी जावे।	इस संस्थान का सूचना शून्य मानी जावे।

15	अनुशासनात्मक कार्यावाही से सम्बन्धित अपील व रिविजन पिटिसन का निस्तारन समय पर व मुखर आदेश द्वारा नहीं करने के कारण जनवरी 2012 से सितम्बर 2016 तक कितने मामले न्यायालय में गये? उन पर जन-कोष से कितने रूपये का भुगतान एडवोकेटस को किया गया? तथा कितना भुगतान यात्रा व्यय के रूप में अधिकारियों/कर्मचारियों को किया गया? पूर्ण जानकारी दी जावे।	इस संस्थान का सूचना शून्य मानी जाए।
16	महामहिम राष्ट्रपति महोदय, CCS (CCA) RULES के तहत अपने अनुशासनिक के अधिकार किस स्तर के अधिकारी को दिये हुये हैं? पूर्ण जानकारी दी जावे।	जानकारी शून्य मानी जाए।
17	भारत सरकार का कोई अधिकारी, बिना अधिकारिता के कोई आदेश जारी करता है, तो क्या उस अधिकारी के खिलाफ आई पी सी की धारा 170 का प्रावधानों के अनुशार कार्यावाही की जा सकती है? पूर्ण जानकारी कराई जावे।	इस संस्थान का जानकारी शून्य मानी जाए।

नोट- इस कार्यालय में हिन्दी टंकक उपलब्ध नहीं है जो रिक्त है।

Name, Designation & Address of Appellate Authority

Shri K.K. Nagle, Director
North Eastern Region Farm Machinery Training &
Testing Institute, Biswanath Chariali,
Dist. Biswanath, Assam, Pin-784176
Tel. No. 03715 - 222094, Fax No. 03715-230358

भवदीय,

(ए.के.उपाध्याय)

व. कृषि अभियन्ता एवं सी.पी.आई.ओ.

प्रतिलिपि-

(1) अवर सचिव-एम एण्ड टी एवं सी.पी.आई.ओ. कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001-आपके पत्र संख्या 9-171/2016-M&T (प्रशासन) दिनांक 28.12.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ।

(2) निदेशक, उ.पू.क्षे.कृ.य.प्र. एवं प.स., बी. चाराली, सादर सूचनार्थ।

(ए.के.उपाध्याय)

व. कृषि अभियन्ता एवं सी.पी.आई.ओ.

जायसिन्हा
25/11/17